



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1941 (श10)

(सं० पटना 1357) पटना, वृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 403, दिनांक 26 दिसम्बर 2019--बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफ़ारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2019, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 321, दिनांक 03 जुलाई, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 770, दिनांक 03 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, 01 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करते हैं ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-3900)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 दिसम्बर 2019

एस० ओ० 403, दिनांक 26 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-7)-3900)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 26<sup>th</sup> December 2019*

S.O. 403, dated the 26 december 2019-- In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019, made vide Commercial Taxes Department notification No. S.O. 321 dated the 3<sup>rd</sup> July, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 770, 3<sup>rd</sup> July, 2019, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)3900)]  
By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1357-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>